(10)

(16)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1860–एक/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–03–2013 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर प्रकरण कमांक 43/2010–11/अ–6

.....

जयाबाई लोधी पुत्री उम्मेदसिंह
पत्नी ओंकार सिंह लोधी,
निवासी देवा कछार तहसील करेली
जिला–नरसिंहपुर म0प्र0
2–तोफानसिंह लोधी पुत्र ओंकारसिंह लोधी,
निवासी देवा कछार तहसील करेली
जिला नरसिंहपुर

..... आवेदकगण

विरूद्ध

गुलाबबाई पुत्र अमरसिंह लोधी पत्नी जनकसिंह लोधी
निवासी ग्राम खापा हाल निवासी भरवारा तहसील नरसिंहपुर
जिला–नरसिंहपुर

.....अनावेदक

.....

श्री योगेश चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री प्रशांत कुलकर्णी, अभिभाषक, अनावेदक

.....

## :: आ दे श ::

( आज दिनांक 13/01/15 को पारित )

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 ( जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा ) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–03–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक गुलाबबाई ने आवेदक जयाबाई के विरूद्ध नामान्तरण आवेदन न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार नरसिंहपुर में प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि सर्वे कमांक 63/1 रकबा 3.110 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 63/2 रकवा 0.405 हेक्टेयर कुल रकवा 3.524 हेक्टेयर स्थित मौजा डेढ़ नारा तहसील नरसिंहपुर भूमि की भूमिस्वामी सुरजनबाई दर्ज है जिसकी दिनांक 7–5–05 को मृत्यु हो चुकी है, जो विधिक वारिसान है उनका नामान्तरण दर्ज किया जावे । आवेदक कमांक 2 तोफान सिंह ने प्रकरण में आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सुरजनबाई ने दिनांक 23–4–05 को उसके हित में वसीयत संपादित की है । अतः वादग्रस्त भूमि पर तोफानसिंह का नाम दर्ज किया जावे । अतिरिक्त तहसीलदार नरसिंहपुर ने आवेदक कमांक 2 की आपत्ति निरस्त करते हुये जयाबाई एवं अनावेदक गुलाबबाई का नाम विवादित भूमि पर 1/2, 1/2 भाग पर नामान्तरण स्वीकार किया। अतिरिक्त तहसीलदार नरसिंहपुर के आदेश दिनांक 10–8–09 के विपरीत आवेदकगण ने अपील अनुविभागीय अधिकारी नरसिंहपुर को प्रस्तुत की जो प्रकरण कमांक 1/अ–6/2009–10 पर दर्ज किया जाकर अपील आदेश दिनांक 27–9–2010 के द्वारा निरस्त की गई । आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–9–10 के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण कमांक 43/अ–6/2010–11 पर दर्ज हुई जो आवेदक की लगातार अनुपस्थिति के कारण दिनांक 12–11–12 अदम पैरवी में खारिज हुई तथा जिसका रेस्टोरेशन आवेदन आवेदक द्वारा प्रस्तुत करने पर रेस्टोरेशन दिनांक 18–3–13 को निरस्त किया गया । अपर आयुक्त द्वारा उक्त पारित आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा अपने लिखित तर्कों में प्रस्तुत किया आवेदकगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील में नियुक्त अभिभाषक के द्वारा पैरवी की जा रही होगी किन्तु उनके अधिवक्ता को दिनांक 12–11–12 को हार्टअटैक आने के कारण उपस्थित नहीं हो सके व प्रकरण दिनांक 12–11–12 को अदम पैरवी में खारिज हो गया । आवेदकगण काफी दूर ग्राम देवा कछार तहसील नरसिंहपुर के ग्रामीण निवासी है व पढे लिखे नहीं है । जैसे ही उन्हें अपने प्रकरण के खारिज होने का पता चला उनके द्वारा तुरन्त रेस्टोरेशन आवेदन संहिता की धारा 35

के तहत दिनांक 15–1–13 को पेश किया व प्रकरण के साथ निगरानीकर्ता कमांक 1 व 2 ने अपने शपथपत्र प्रस्तुत किये व साथ ही अपने अधिवक्ता का भी शपथ पत्र प्रस्तुत किया किन्तु फिर भी अतिरिक्त आयुक्त द्वारा उक्त रेस्टोरेशन आवेदन खारिज कर दिया जबकि विधि का यह सिद्धांत है कि पक्षकार ग्रामीण क्षेत्र का निवासी है जिन्हें न्यायालय की प्रकिया का ज्ञान नहीं होता । आवेदकगण द्वारा अभिभाषक नियुक्त करने के पक्षकार को तारीख पेशी पर उपस्थित होना आवश्यक नहीं होता । अधिवक्ता की गलती का नुकसान पक्षकार को नहीं दिया जा सकता। आवेदकगण अत्यन्त निर्धन है व विवादित भूमि उनकी अजीविका का एकमात्र साधन है अतः न्यायहित में प्रकरण का गुणदोषों के आधार पर निराकरण करना न्यायहित में है । अंत में आवेदकगण अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 12–11–12 एवं 18–3–13 को निरस्त कर अपील प्रकरण कमांक 43/ए–6/2010–11 को पुनः नम्बर पर लिया जाकर उसका निराकरण गुणदोषों के आधार पर किये जाने हेतु आदेश पारित किये जाने का अनुरोध किया ।

4/ अनावेदक की ओर से श्री उनके अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्को में बताया गया कि आवेदक ने प्रारम्भ से अपनी आपतित इसलिये प्रस्तुत की है कि वह अनावेदक गुलाबबाई के स्वत्व की जमीन में अड़गा डालकर उसके स्वत्व को प्रभावित कर उसे अत्यधिक आर्थिक नुकसान पहुँचा सके । द्वितीय अपीलीय न्यायालय अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के न्यायालय में आवेदक को उसकी आपत्ति गुणावगुण पर निराकरण हेतु पर्याप्त अवसर दिये परन्तु आवेदक ने द्वितीय अपील की सुनवाई के दौरान स्वयं एवं अपने अधिवक्ता को लगातार पॉच पेशी दिनांकों पर जानबूझकर अनुपस्थित रखा ताकि अपील के निराकरण में अत्यधिक बिलम्व हो। अतः आवेदक को दिनांक 12–11–2012 को पर्याप्त अवसर देने के उपरांत आवेदकगण की द्वितीय अपील निरस्त कर दी गई । आवेदकगण ने आपत्ति के आधार में जो वसीयत प्रस्तुत की है वह एक नोटराईज्ड स्टाम्प मात्र है जो कि पूरी तरह से फर्जी व मनगढ़त वसीयत है, वसीयतकर्ता को वसीयत करने का अधिकार है या नहीं । उक्त संपत्ति वसीयतकर्ता की स्वअर्जित संपत्ति नहीं है ऐसा कोई विलेख भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे उक्त संपत्ति सुरजनबाई की स्वअर्जित संपत्ति प्रमाणित हो । लिखित तर्क में यह भी बताया कि अपर आयुक्त जबलपुर संभाग के न्यायालय में दिनांक 15–1–13 को अपील की पुर्नस्थापना में लेने हेतु जो

आवेदन प्रस्तुत किया वह भी इसलिये निरस्त किया गया कि आवेदकगण ने अधीनस्थ न्यायालय को अपनी लगातार अनुपस्थिति के कारणों से संतुष्ट नहीं किया एवं ऐसे कारण दर्शाये जो पूरी तरह से झूठे थे तथा यह भी दर्शाया कि जिस दिन आवेदकगण सुनवाई में अनुपस्थित रहे उस दिन अधिवक्तागण कार्य से विरत थे परन्तु उक्त दिनांक को प्रकरण सुनवाई में नियत भी नहीं था जिससे रेस्टोरेशन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में यह भी बताया कि विवादित प्रकरण देवाकछार ग्राम तहसील करेली जो कि रेल सड़क मार्ग से संपन्न है । तहसील करेली से जबलपुर सारा दिन सस्ता सुलभ रेल आवागमन दिन रात चालू रहता है । आवेदक द्वारा यह निगरानी झूठे आधारों पर प्रस्तुत की गई है एवं आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में जो अपनी अनुपस्थित के कारण दर्शाये है वह पूरीतरह से मिथ्या है इसलिये अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–3–13 एवं 12–11–12 उचित है, जिसमें हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं है, जो स्थिर रखे जाये अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी आधारहीन होने से निरस्त किये जाने का अनुरोध किया है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके समक्ष आवेदक तथा उनके अभिभाषक अपील पेश करने के बाद निरन्तर अनुपस्थित रहे । दिनांक 10–11–2010 को अपील पेश करने के बाद दिनांक 18–3–2013 तक की लम्बी अवधि में प्रकरण की स्थिति जानने का एक बार भी प्रयास उन्होंने नहीं किया । इस अनुपस्थिति के जो कारण बताये गये हैं वह भी समुचित और पर्याप्त नहीं है । इस निगरानी में भी कोई ऐसे आधार प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिनके प्रकाश में आवेदक को कोई लाभ दिया जा सके । अधीनस्थ अपर आयुक्त न्यायालय का आदेश तथ्यों पर आधारित है तथा उसमें परिवर्तन के पर्याप्त आधार नहीं होने से यह निगरानी अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर